

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर



क्रमांक:-एफ 40(54)गावि/नरेगा/मॉ. अपूर्ण कार्य/2013

जयपुर, दिनांक 3 JUL 2018

::कार्यवाही विवरण::

वर्ष 2016-17 तक के अपूर्ण कार्यों को एमआईएस पर पूर्ण करवाने तथा जियो एमजीनरेगा अन्तर्गत फेज-I एवं फेज-II कार्यों को जियो टैग करने के संबंध में दिनांक 25.06.2018, 26.06.2018 एवं 28.06.2018 को जिला बांसवाड़ा, उदयपुर, बाडमेर, झूंगरपुर, झालावाड़, पाली, बीकानेर, जालोर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर की समीक्षा की गई। बैठकों में कार्य अपूर्ण होने के मुख्यतः निम्न कारण बताये गये :—

- 1 मौके पर कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी कार्य से संबंधित बिल वाउचरर्स का इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट में नहीं होने के कारण कार्य अपूर्ण प्रदर्शित हो रहे हैं।
- 2 प्रधानमंत्री आवास से संबंधित कार्य आवास सॉफ्ट से नरेगा सॉफ्ट पर शिफ्ट होते हैं तो उस कार्य पर स्वतः ही पूर्व के वर्ष की कार्य प्रारम्भ दिनांक प्रदर्शित होती है। जबकि कार्य पर मस्टररोल जारी होने की दिनांक अलग होती है। अतः मस्टररोल जारी होने की दिनांक को ही प्रारम्भिक दिनांक मानते हुए नरेगा सॉफ्ट पर संशोधन किया जावे।
- 3 कार्यों के टेण्डर पर हुआ व्यय अथवा अन्य स्टेशनरी आदि का व्यय ही हुआ है व विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ हो।
- 4 एमआईएस पर प्रदर्शित शून्य व्यय वाले कुछ कार्यों में व्यय (श्रम अथवा सामग्री मद) हुआ है। साथ ही केवल सामग्री पर व्यय वाले कॉलम में भी ऐसे कार्य शामिल हैं जिनके सामग्री के अलावा श्रम मद पर भी व्यय हुआ है। इस प्रकार रिपोर्ट सही नहीं है।

बैठकों में विस्तृत चर्चा उपरांत जिलों की सहमति से निम्न निर्णय लिये गये :—

1. अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु :-

- जिन कार्यों पर सामग्री मद में भुगतान पहले किया गया तथा श्रम मद पर भुगतान बाद में किया गया प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में कार्यवार समीक्षा कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
- शून्य व्यय अन्तर्गत प्रदर्शित कार्यों की कार्यवार समीक्षा की जावे। यदि कार्य कराये जाने हैं तो मस्टररोल जारी कर प्रारम्भ करावे अन्यथा हटा दिया जावे।
- 0-5 प्रतिशत व्यय वाले कार्यों में अधिकांशतः व्यक्तिगत लाभार्थी के वे कार्य हैं जिन पर केवल एक या दो मस्टररोल जारी की गई है। ऐसे कार्यों को चिह्नित कर पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जावे।

- 100 प्रतिशत व्यय से अधिक व्यय वाले कार्यों की समीक्षा कर नरेगा सॉफ्ट में पूर्ण होने का इन्द्राज करावें, यदि कार्य अपूर्ण है तो संशोधित स्वीकृति नियमानुसार जारी कर कार्यों को पूर्ण करावें।
- नये कार्य स्वीकृत करने से पूर्व ग्राम पंचायत के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु प्राथमिकता से मस्टररोल जारी किये जावे। तत्पश्चात ही नये कार्यों को स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ किया जावे।
- मौके पर कार्य पूर्ण होने के पश्चात संबंधित बिल वाउचर का इन्द्राज वित्तीय मैन्यूअल के बिन्दु संख्या—6.10 के अनुसार सुनिश्चित किया जावे।
- समय—सीमा :— दिनांक 15 जुलाई, 2018 तक जिले में वर्ष 2016–17 तक के शून्य व्यय, केवल सामग्री मद व्यय एवं 100 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर लिया जावे।

2. जियो टैग की प्रगति हेतु :—

- फेज—I अन्तर्गत 1 नवम्बर, 2017 तक पूर्ण हुये समस्त कार्यों को जियो टैग किये जाने हेतु गहन समीक्षा की जाकर कार्यवाही की पूर्ण की जावे। जेटीए की व्यस्था को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यकता हो तो अन्य कार्मिकों को एमएससी नियुक्त करते हुए प्रशिक्षण दिया जावे।
- फेज—II अन्तर्गत Stage III में पूर्ण हुये समस्त कार्यों को जियो टैग किया जावे तथा भविष्य में फेज—II (III Stage) के कार्यों को सीसी जारी करने के समय ही जियो टैग कर लिया जावे।

समय—सीमा :— दिनांक 10 जुलाई, 2018 तक समस्त पूर्ण हुये लम्बित कार्यों को जियो टैग कर लिया जावे।

3. जनमनरेगा ऐप के उपयोग संबंधी जागरूकता सुनिश्चित की जावे।
4. श्रमिकों को प्रपत्र—6 की रसीद उपलब्ध कराते हुए पॉच—पॉच श्रमिकों के समूह में कार्य कराया जाना सुनिश्चित करावें **Differential Wage** अनुसार समीक्षा की जावे।
5. गुड गवर्नेंस से संबंधित बिन्दुओं यथा वॉल पेन्टिंग, सिटीजन इन्फॉर्मेशन, जॉब कार्ड वेरीफिकेशन एवं रिकोर्ड संधारण कार्यों की शत—प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह छैब)

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
- 2 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
- 3 अधिशासी अभियंता महात्मा गांधी नरेगा, समस्त राजस्थान।
- 4 रक्षित पत्रावली।

अधिशासी अभियन्ता, ईजीएस